

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद ।

पटना, दिनांक 31-08-15

विषय:- जहानाबाद जिला के लिए अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्रांक-5159/जे0, दिनांक-14.08.2015 के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जहानाबाद जिला में अपर लोक अभियोजक हेतु कुल-14 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। आपके द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अनुशांसा के आलोक में क्रमांक-13 पर अनुशांसित अधिवक्ता श्री राम लखन प्रसाद सिन्हा, पंजीयन संख्या-277/73 की मृत्यु कुछ माह पूर्व हो गई है। उक्त के आलोक में श्री राम लखन प्रसाद सिन्हा, पंजीयन संख्या-277/73 की नियुक्ति रद्द करने की कृपा की है।

2. जहानाबाद जिला में अपर लोक अभियोजक की कुल संख्या-13 होगी।
3. बाकी सभी शर्तें यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....5569...../जे0,

पटना, दिनांक-31-08-15

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....5569...../जे0,

पटना, दिनांक-31-08-15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

340
31/8/15